

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला महासमुन्द (छोगो)

महासमुन्द, दिनांक: 23/7/2019

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न संविदा रिक्त पदों हेतु प्राप्त दावा-आपत्ति आवेदन पत्रों के मान्य/अमान्य सूची

पदनाम- सहायक चिकित्सा अधिकारी (एनएचएम)

स.क्र.	दिनांक	आवेदक का नाम	पता	दावा-आपत्ति विषय	दावा आपत्ति मान्य/अमान्य	दावा आपत्ति मान्य/अमान्य का विवरण
1	3/6/2019	श्री द्वारिका प्रसाद पटेल	ग्राम टुरिखीह झालप, जिला - महासमुन्द	अनुभव प्रमाण पत्र का निर्धारित अंक प्रदाय करने बाबत।	अमान्य	मूल दस्तावेज में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य करने का उल्लेख नहीं है किन्तु आवेदक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत दिनांक 04.11.2009 से दिनांक 16.09.2013 तक कार्य करने का उल्लेख किया गया है तथा साक्ष्य/दस्तावेज दावा आपत्ति आवेदन में प्रस्तुत किया गया है। चूंकि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के दावा आपत्ति सूचना क्र/ एनएचएम/मर्ती/2018-19/438 महासमुन्द दिनांक 02.03.2019 के नोट बिन्दु क्रमांक -1 के अनुसार "दावा आपत्ति में आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जावेगी। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे" के आधार पर अमान्य।
2	3/7/2019	श्री उदय कांत प्रधान	पी/324 वैभव कुल प्रधान पारा देवभाग, जिला गरियाबंद	जाति संवर्ग सुधार किये जाने बाबत।	मान्य	आवेदक ने कार्यालय द्वारा जारी दावा आपत्ति सूची में उनके नाम के समुख संवर्ग में "अ.पि.व." उल्लेख किये जाने पर दावा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर, संवर्ग "अ.जा." अंकित किये जाने की मांग की गई है। आवेदक द्वारा मूल आवेदन में संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त कार्यालयीन टंकन त्रुटी को सुधार करते हुए सूची में अंकित आवेदक के संवर्ग "अन्य पिछड़ा वर्ग" को सुधार करते हुए "अनुसूचित जाति" किया जाता है।
3	3/7/2019	श्री तरुण कुमार सिन्हा	कृष्णा कोविग सेन्टर टिकरपारा रायपुर	दावा आपत्ति स्वीकार करने बाबत। 1- संवर्ग में सुधार बाबत। 2- अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में।	मान्य	आवेदक द्वारा दावा आपत्ति आवेदन द्वारा सूची में उल्लेखित संवर्ग "अ.पि.व." को संशोधित करते हुए "सामान्य" उल्लेखित किये जाने की मांग की गई है। आवेदक द्वारा मूल आवेदन में संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त कार्यालयीन टंकन त्रुटी को सुधार करते हुए सूची में अंकित आवेदक के संवर्ग "अन्य पिछड़ा वर्ग" को सुधार करते हुए संवर्ग "सामान्य" किया जाता है।
				दावा आपत्ति स्वीकार करने बाबत। 1- संवर्ग में सुधार बाबत। 2- अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में।	अमान्य	आवेदक द्वारा नियुक्ति आदेश एवं उपस्थिति पत्र को अनुभव प्रमाण पत्र मानते हुए, अनुभव अंक प्रदाय करने की मांग की गई है। इस संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के विज्ञापन क्रमांक/ एनएचएम/सं.मर्ती/ 2019/166 महासमुन्द दिनांक 28.01.2019 के साथ जारी मर्ती दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक 8.2 में मूल आवेदन के साथ समस्त वांछित दस्तावेज (जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र भी उल्लेखित है), संलग्न किया जाना था। किन्तु अस्थायी द्वारा नियुक्ति आदेश एवं उपस्थिति पत्र संलग्न किया गया है, जो कि अनुभव प्रमाण पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अतएव दावा आपत्ति अमान्य किया जाता है।

(Handwritten signature)

स.क्र.	दिनांक	आवेदक का नाम	पता	दावा-आपत्ति विषय	दावा आपत्ति मान्य/अमान्य	दावा आपत्ति मान्य/अमान्य का विवरण
4	3/8/2019	डेवर सिंह मालाकार	ग्राम व पोस्ट - बरतौनी, अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग.	अनुभव प्रमाण पत्र में अंक प्रदाय किये जाने के संबंध में	अमान्य	मूल दस्तावेज में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य करने का उल्लेख नहीं है किन्तु आवेदक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत दिनांक 12.11.2009 से 07.10.2013 तक (03 वर्ष 10 माह) कार्य करने का उल्लेख किया गया है तथा साक्ष्य / दस्तावेज, दावा आपत्ति आवेदन में प्रस्तुत करते हुए उक्त समय का 03 अंक प्रतिवर्ष के मान से मांग की गई है। चूंकि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के दावा आपत्ति सूचना क्र / एनएचएम / भर्ती / 2018-19 / 438 महासमुन्द दिनांक 02.03.2019 के नोट बिन्दु क्रमांक -1 के अनुसार "दावा आपत्ति में आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जावेगी। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे" के आधार पर अमान्य किया जाता है। आवेदक को पूर्ववत् मूल आवेदन में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर गणना करते हुए प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से नियमानुसार अंक प्रदाय किया जायेगा।
						आवेदक द्वारा दावा आपत्ति आवेदन में मूल आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लेखित दिनांक 08.10.2013 से 05.03.2015 तक का अनुभव के अंक नहीं देने का उल्लेख करते हुए। उक्त समय के अनुभव पर 02 अंक प्रतिवर्ष के मान से प्रदाय करने की मांग की गई है। चयन समिति द्वारा उक्त मांग के संबंध में मूल आवेदन में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया तथा कार्यालयीन त्रुटी सुधार करते हुए उक्त अवधि का नियमानुसार प्रतिवर्ष 02 अंक के मान से अनुभव अंक प्रदाय किया जावेगा।
5	3/8/2019	आस्था तिवारी	दानीटोला शीतला मंदिरा के पास धमतरी	अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने बाबत।	अमान्य	आवेदिका द्वारा दावा आपत्ति आवेदन में अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए अनुभव अंक की मांग की गई है। आवेदिका के मूल आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतएव कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के दावा आपत्ति सूचना क्रमांक / एनएचएम / भर्ती / 2018-19 / 438 महासमुन्द दिनांक 02.03.2019 के नोट बिन्दु क्रमांक -1 के अनुसार "दावा आपत्ति में आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जावेगी। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे" के आधार पर अमान्य।




स.क्र.	दिनांक	आवेदक का नाम	पता	दावा-आपत्ति विषय	दावा आपत्ति मान्य/अमान्य	दावा आपत्ति मान्य/अमान्य का विवरण
6	3/8/2019	किरण जैन	नेहरू नगर मिलार्ड	प्रथम वर्ष का अंकसूची संलग्न किये जाने बाबत।	अमान्य	<p>आवेदिका द्वारा दावा आपत्ति आवेदन में शैक्षणिक योग्यता के प्रथम वर्ष का अंकसूची संलग्न करते हुए पात्र करने की मांग की गई है।</p> <p>कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के विज्ञापन क्रमांक/एनएचएम/सं. भर्ती/2019/166 महासमुन्द दिनांक 28.01.2019 के साथ जारी भर्ती दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रमांक 1.10 में " आवेदन के साथ वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। किन्तु आपके मूल आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता के प्रथम वर्ष की अंकसूची की प्रति संलग्न नहीं है।</p> <p>अतएव कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के दावा आपत्ति सूचना क्रमांक/एनएचएम/भर्ती /2018-19/438 महासमुन्द दिनांक 02.03.2019 के नोट बिन्दु क्रमांक -1 के अनुसार "दावा आपत्ति में आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जावेगी। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे" के आधार पर अमान्य।</p>
7	3/8/2019	किशोर कुमार साहू	ग्राम बिरेंडार, पोस्ट- दरबा, कुरुद जिला धमतरी	अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र !	अमान्य	<p>आवेदक द्वारा मूल दस्तावेज में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उल्लेख नहीं होने के कारण नवीन अनुभव प्रमाण पत्र दावा आपत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>आवेदक द्वारा दावा आपत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत नवीन अनुभव प्रमाण पत्र (दिनांक 08.03.2019) मूल आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद की तिथि का है। साथ ही कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के दावा आपत्ति सूचना क्र./एनएचएम /भर्ती / 2018-19/438 महासमुन्द दिनांक 02.03.2019 के नोट बिन्दु क्रमांक -1 के अनुसार "दावा आपत्ति में आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जावेगी। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे" के आधार पर अमान्य किया जाता है।</p>
8	3/8/2019	डॉ. मन्दाकिनी चन्द्राकर	वर्धमान नगर, जेल रोड महासमुन्द	शैक्षणिक योग्यता संलग्न करने बाबत।	अमान्य	<p>कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के विज्ञापन क्रमांक/एनएचएम/सं. भर्ती/2019/166 महासमुन्द दिनांक 28.01.2019 में सविदा सहायक चिकित्सा अधिकारी पद हेतु शैक्षणिक योग्यता "Should have passed Three Year Medical Course Practitioner in Modern and Holistic Medicine (PMHM) and Registered by Chhattisgarh Chikitsa Mandal" निर्धारित है।</p> <p>किन्तु आवेदिका के मूल आवेदन में उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण आपत्र किया गया है। चूंकि आवेदिका द्वारा बीएएमएस की शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज संलग्न किया गया है। अतएव निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण दावा आपत्ति अमान्य किया जाता है।</p>




स.क्र.	दिनांक	आवेदक का नाम	पता	दावा-आपत्ति विषय	दावा आपत्ति मान्य/अमान्य	दावा आपत्ति मान्य/अमान्य का विवरण
9	3/8/2019	श्री तरुण कुमार सिन्हा	कृष्णा कोविंग सेन्टर टिकरापारा रायपुर	अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने बाबत।	अमान्य	<p>आवेदक द्वारा दावा आपत्ति आवेदन में दिनांक 08.03.2019 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए, अनुभव अंक की मांग की गई है।</p> <p>आवेदक के मूल आवेदन में अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। तथा दावा आपत्ति आवेदन के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र मूल आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि का है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुन्द के दावा आपत्ति सूचना क्र./ एनएचएम /मती/ 2018-19/438 महासमुन्द दि. 02.03.2019 के नोट बिन्दु क्रमांक -1 के अनुसार "दावा आपत्ति में आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जावेगी। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे"। उक्त तथ्यों के आधार पर दावा आपत्ति अमान्य किया जाता है।</p>

(Handwritten signature in green ink)

(Handwritten signature in blue ink)